6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in

सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

6th Mile, Samdur, Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

SU/REG/F-1/07/2018/Vol-I/619 Date: 20th November 2024

Notification - 203 /2024

The Executive Council in its 45th meeting held on 30th July 2024, on the recommendations of the Academic Council, approved the following rules/norms with regard to granting maternity leave to the women students enrolled in Sikkim University/affiliated colleges and also as regards providing all relaxations/ exemptions relating to attendance, extension in date for submitting examination forms or any other facility deemed necessary for women students pursuing Under Graduate and Post Graduate programmes.

1. Duration of maternity leave

Women students pursuing UG or PG programme may avail maternity leave up to 240 days at a stretch on submission of medical certificate/birth certificate and on recommendation of the department/concerned college.

2. Class attendance

The mandatory provision of 75% attendance requirement for appearing in the final examination shall be relaxed to 50% for any candidate availing maternity leave with a minimum requirement of appearing in two sessional examinations. In case of the said candidate fails to appear in the End Semester Examination, then the sessional marks shall be carried forward to the next relevant semester.

3. Carry forward of sessional test marks

The woman student who appeared minimum two sessional tests and attended at least 50% of the classes but could not appear End Semester Examination due to maternity leave shall be allowed to repeat the End Semester Examination in the subsequent relevant semester (Odd/Even) along with examinations of the fresh semester. The date of examination shall be notified in such a way that there is no clash of examination date/timing. The sessional test marks shall be carried forward to the next relevant semester.

4. Extension in date for submitting examination form

Fifteen days' extension from the notified last date for submission of examination forms shall be given to concerned women candidates availing maternity leave.

5. Maximum time for completion of course

Extra two semesters over and above the maximum semesters may be allowed for completion of the course. Maternity leave can be availed as a break semester only once in the entire duration of UG or PG programme.

कुलसचिव (प्रभारी)
Registrar (In-Charge)
सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in

सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

6th Mile, Samdur,Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

6. Scholarship / fellowship

The university scholarship/fellowship shall be continued during the period of maternity leave for the concerned woman student. Any other scholarship/fellowship may be continued as per the norms of the funding agency. However, the scholarship/fellowship shall not be paid during the extended semesters.

(Prof. Laxuman Sharma)
Registrar (I/C)

कुलसचिव (प्रभारी)
Registrar (In-Charge)
सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

Distribution:

1. PS to VC for kind information of the Vice-Chancellor
2. PS to Registrar
3. Finance Officer
4. Controller of Examinations
5. Librarian
6. Deans of all Schools of Studies
7. Dean, Students' Welfare
8. Principals of affiliated colleges
9. Head(s)/In-charge(s) of all Departments
10. Joint Registrar (Academic)
11. System Management – for upload on the website
12. Office Copy
13. Guard file

6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in

सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

6th Mile, Samdur,Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

SU/REG/F-1/07/2018/Vol-I/619

दिनांक: 20 नवंबर, 2024

अधिसूचना - 203 /2024

दिनांक 30 जुलाई 2024 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 45वीं बैठक में शैक्षणिक परिषद की सिफारिशों पर सिक्किम विश्वविद्यालय/संबद्ध महाविद्यालयों में नामांकित महिला छात्राओं को मातृत्व अवकाश देने के संबंध में निम्नलिखित नियमों/मानदंडों को मंजूरी दी गई और स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में अध्ययनरत महिला छात्राओं के लिए उपस्थिति, परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि में विस्तार या आवश्यक समझी जाने वाली अन्य सुविधा से संबंधित सभी रियायत/छूट प्रदान करने के संबंध में भी मंजूरी दी गई।

1. मातृत्व अवकाश की अवधि

स्नातक एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रम में अध्ययनरत महिला छात्राएं चिकित्सा प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने तथा विभाग/संबंधित महाविद्यालय की अनुशंसा पर 240 दिनों तक का मातृत्व अवकाश प्राप्त कर सकती हैं।

2. कक्षा में उपस्थिति

अंतिम परीक्षा में उपस्थित होने के लिए 75% उपस्थिति की आवश्यकता के अनिवार्य प्रावधान को दो सत्रीय परीक्षाओं में उपस्थित होने की न्यूनतम आवश्यकता के साथ मातृत्व अवकाश का लाभ उठाने वाले किसी भी उम्मीदवार के लिए 50% तक छूट दी जाएगी। यदि उक्त उम्मीदवार अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में उपस्थित होने में विफल रहता है, तो सत्रीय अंक अगले प्रासंगिक सेमेस्टर में आगे बढ़ाए जाएंगे।

3. सत्रीय परीक्षा के अंकों को आगे ले जाना

जिन महिला छात्रा जो कम से कम दो सत्रीय परीक्षाएं दे चुकी है और कम से कम 50% कक्षाओं में उपस्थित रही है, लेकिन मातृत्व अवकाश के कारण अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकी, उसे नए सेमेस्टर की परीक्षाओं के साथ-साथ आगामी प्रासंगिक सेमेस्टर (विषम/सम) में अंतिम सेमेस्टर परीक्षा दोहराने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा की तिथि इस तरह से अधिसूचित की जाएगी कि परीक्षा तिथि/समय में कोई ब्यावधान न हो। सत्रीय परीक्षा के अंकों को अगले प्रासंगिक सेमेस्टर में आगे ले जाया जाएगा।

4. परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथि में विस्तार

मातृत्व अवकाश लेने वाली संबंधित महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा फार्म जमा करने की अधिसूचित अंतिम तिथि से पंद्रह दिन का विस्तार दिया जाएगा।

5. पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अधिकतम समय

पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अधिकतम सेमेस्टर के अतिरिक्त दो सेमेस्टर की अनुमति दी जा सकती है। मातृत्व अवकाश का लाभ स्नातक या एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रम की पूरी अवधि में केवल एक बार ब्रेक सेमेस्टर के रूप में लिया जा सकता है।

कुलसचिव (प्रभारी)
Registrar (In-Charge)
सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

6 माइल, सामदुर, तादोंग -737102
गंगटोक, सिक्किम, भारत
फोन-03592-251212, 251415, 251656
टेलीफैक्स -251067
वेबसाइट - www.cus.ac.in

सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

6th Mile, Samdur, Tadong -737102
Gangtok, Sikkim, India
Ph. 03592-251212, 251415, 251656
Telefax: 251067
Website: www.cus.ac.in

(भारत के संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित और नैक (एनएएसी) द्वारा वर्ष 2015 में प्रत्यायित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A central university established by an Act of Parliament of India in 2007 and accredited by NAAC in 2015)

6. छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति

संबंधित महिला छात्रा के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति जारी रहेगी। वित्तपोषित एजेंसी के मानदंडों के अनुसार कोई अन्य छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति जारी रखी जा सकती है। हालाँकि, विस्तारित सेमेस्टर के दौरान छात्रवृत्ति/ अध्येतावृत्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(प्रो. लक्ष्मण शर्मा)
कुलसचिव (प्रभारी)

कुलसचिव (प्रभारी)
Registrar (In-Charge)
सिक्किम विश्वविद्यालय
SIKKIM UNIVERSITY

वितरण:

1. कुलपति के सूचनार्थ कुलपति के निजी सचिव
2. कुलसचिव के निजी सचिव
3. वित्त अधिकारी
4. परीक्षा नियंत्रक
5. पुस्तकालयाध्यक्ष
6. सभी अध्ययन विद्यापीठ के डीन
7. डीन छात्र कल्याण
8. संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य
9. सभी विभागों के अध्यक्ष/प्रभारी
10. संयुक्त कुलसचिव (शैक्षणिक)
11. सिस्टम मैनेजमेंट - वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
12. कार्यालय प्रति
13. सुरक्षा फाइल